भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2203

जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

चुनाव संबंधी वीडियो फुटेज और तस्वीरों का संरक्षण

2203. श्री ससिकांत सेंथिलः

डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के वीडियो फुटेज और तस्वीरों को परिणामों की घोषणा के बाद 45 दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किया है और यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं और इस परिवर्तन से पहले हितधारकों के साथ क्या परामर्श किया गया था ;

(ख) क्या सरकार चुनावी पारदर्शिता, प्रक्रियाओं के सत्यापन और चुनाव प्रक्रिया में जनता के विश्वास पर इस कम अवधि के प्रभाव के बारे में उठाई गई चिंताओं से अवगत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चुनाव याचिका दायर किए जाने के मामलों में ऐसे चुनाव संबंधी वीडियो रिकॉर्ड को 45 दिनों की अवधि से आगे सुरक्षित रखने के लिए कोई तंत्र मौजूद है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 (2) (क) में हाल ही में किए गए संशोधन जो चुनाव फुटेज तक जनता की पहुँच को प्रतिबंधित करता है का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो किसी प्रस्तावित समीक्षा या परामर्श प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या ऐसे निर्देश जारी करने से पहले राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों से परामर्श किया गया था ; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि चुनाव संबंधी सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संरक्षित किए जाएं और यदि आवश्यक हो तो स्वतंत्र सत्यापन और कानूनी सहायता के लिए उपलब्ध कराए जाएं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सूचित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के अनुसार निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 45 दिनों के भीतर निर्वाचन याचिका फाईल की जा सकती है । अत:, विभिन्न चरणों में निर्वाचन प्रक्रियाओं से संबंधित वीडियो फुटेज को तब तक संरक्षित रखने की आवश्यकता है जब तक कि कोई निर्वाचन याचिका फाईल नहीं की जाती है और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में लंबित होती है। भारत के निर्वाचन आयोग ने आगे कहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे, क्योंकि वीडियो फुटेज प्ररूप 17क (मतदाताओं का रजिस्टर) लाइव देने के समान है, जो निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 93(1) के अधीन प्रतिबंधित है और दुरुपयोग को रोकने के लिए केवल एक सक्षम न्यायालय के आदेश से दिया जा सकता है। भारत के निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया है कि सरकार ने "इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार" शब्दों को जोड़कर निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 93(2) (क) में संशोधन किया गया था । नियम 93 (2) (क) में हाल ही में किए गए संशोधन का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

****